

आवेदन संख्या:

दिनांक: ___/___/___

पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आवेदन पत्र

(इस आवेदन पत्र का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब पॉलिसी नहीं दी गई हो)

पॉलिसी संख्या

पॉलिसी धारक का नाम
(पॉलिसी दस्तावेज में लिखे नाम के समान) श्री/श्रीमती/कुमारी पहला नाम आखरी नाम

पॉलिसी धारक का वर्तमान पता
शहर राज्य पिन कोड

भुगतान जानकारी: खाता धारक का नाम:
बैंक खाता संख्या:
बैंक का नाम और शाखा:

* मैं उपरोक्त जानकारियों के आधार पर क्रॉस चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहूंगा/ चाहूंगी एवं इसके द्वारा मैं इस पत्र में लिखित बैंक खाता संख्या और अन्य जानकारियों की सटीकता की पूरी जिम्मेदारी लेता/ लेती हूँ। मैं यह जिम्मेदारी लेता/ लेती हूँ कि मेरे द्वारा घोषित गलत बैंक खाता संख्या (या) अन्य जानकारियों के आधार पर कंपनी द्वारा की गई किसी भी ट्रांसैक्शन के लिए मैं कंपनी को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराऊंगा/ ठहराऊंगी।

संपर्क नंबर:
मोबाइल एस.टी.डी कोड घर/ कार्यालय

ईमेल पता
(यदि है तो):

पॉलिसी का सरेंडर: मैं अपनी उपरोक्त उल्लिखित पॉलिसी का परित्याग (सरेंडर) करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि पॉलिसी का सरेंडर करने के लिए पॉलिसी की असली दस्तावेज जमा करनी पड़ेगी क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने के अर्थ यह है कि यह पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। मैं इस आवेदन पत्र के साथ पॉलिसी की असली दस्तावेज और अदायगी पत्र (डिस्चार्ज लेटर) अनुलग्नित कर रहा हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि अनुरोध पर कार्यवाही करने की दिनांक की एन.ए.वी के आधार पर और पॉलिसी दस्तावेज तथा सरेंडर उद्धरण में उल्लिखित सरेंडर शुल्कों की कटौती के बाद सरेंडर रकम निश्चित किया जाएगा। मैं अपनी सम्पूर्ण स्वीकृति प्रदान करता हूँ और ऊपर उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ।

दिनांक ___/___/___ स्थान _____ पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर _____

गवाह का नाम
श्री/श्रीमती/कुमारी पहला नाम आखरी नाम

गवाह का वर्तमान पता
शहर राज्य पिन कोड

संपर्क संख्या
मोबाइल एस.टी.डी कोड घर/ कार्यालय

दिनांक ___/___/___ स्थान _____ गवाह के हस्ताक्षर _____

★ यदि यह हस्ताक्षर प्रस्ताव पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर से अलग है, तो कृपया इसके साथ संलग्नित पत्र पर लेख्य प्रमाण प्राप्त करें।

पॉलिसी धारक का नाम (जैसा इस पत्र पर हस्ताक्षरित है)

लेख्य प्रमाणक के हस्ताक्षर और मुहर

नोट:

- ❖ प्रस्तावक/ पॉलिसी धारक को विधिवत सभी कॉलम भरना होगा। एक बार सरेंडर अनुरोध जमा हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में आगामी कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉलिसी धारक द्वारा एक बार पॉलिसी सरेंडर किए जाने के बाद इसे दुबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।
- ❖ किसी सरेंडर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र प्राधिकरण को है, जिसे श्रीराम जीवन बीमा कंपनी द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया था।
- ❖ सरेंडर अनुरोध के उद्धरण में उल्लिखित देय सरेंडर मूल्य की कुल रकम केवल सूचना मात्र के लिए और यह शाखा द्वारा सरेंडर अनुरोध पर कार्यवाही के दिनांक पर निर्भर कर बदल सकता है।
- ❖ हमारी किसी भी शाखा में एक बार सरेंडर अनुरोध मिलने के बाद, श्रीराम जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड अन्य लाभों, दावा सूचना इत्यादि की अनुवर्ती अनुरोधों को स्वीकार नहीं करेगा।

❖ एक बार पॉलिसी की सरेंडर रकम अदा कर दी जाने के बाद पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाती है और हम उस पॉलिसी के संबंध में अनुवर्ती दावों को स्वीकार नहीं करेंगे।



सरेंडर आवेदन: स्वीकृति:

पॉलिसी संख्या:

आवेदन मिलने की / / म/ पी.एम

पॉलिसी धारक का नाम _____

ऋण आवेदन सहित निम्न दस्तावेज संलग्नित हैं: (उचित बॉक्स में ✓ निशान लगाएं)

♦ पॉलिसी की असली प्रमाणपत्र.

♦ सरेंडर आवेदन का सारांश.

आवेदन संख्या:

कार्यालय का स्टैम्प और मुहर (दिनांक और समय सहित)

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर